भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2495
बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

देश में बेरोजगारी

2495. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में स्नातक और स्नाकोत्तर, दोनों प्रकार की अर्हता वाले युवाओं में अत्यधिक बेरोजगारी का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी नौकरियां/रोजगार प्रदान किया गया है; और

(घ) देश में रोजगार के अवसरों में सुधार करने लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पीएलएफएस 2018-19 के अनुसार, देश में विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं वाले 15 वर्ष और उससे अधिक (स्नातक एवं गैर-स्नातक सहित) आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई है:

बेरोजगारी दर	
सामान्य शिक्षा स्तर	**2018-19**
साक्षर एवं प्राथमिक तक	2.4%
माध्यमिक	4.8%
सेकेंडरी	5.5%
उच्च माध्यमिक	9.2%
डिप्लोमा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	17.2%
स्नातक	16.9%
समस्त व्यक्ति	**5.8%**

(ग) एवं (घ): रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों हेतु रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन करने हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। 9 मार्च, 2021 को लाभ लेने हेतु 16.49 लाख नियोक्ता पंजीकृत हुए थे।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने छह राज्यों के लिए 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरवाई) प्रारंभ किया है। जीकेआरवाई के तहत, छह राज्यों में सृजित मानव दिवस रोजगार 50,78,68,671 है।

सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जो रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, इसमें एक डिजिटल पोर्टल (www.ncs.gov.in) भी है जो गतिशील ढंग से रोजगार तलाश एवं मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। एनसीएस पर सभी सेवाएं लागत-मुक्त हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 17-03-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2495 के भाग (ग से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रदान किए गए रोजगार का उपलब्ध सीमा तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**एमजीएनआरईजीएस** (मानव दिवस लाख में) (28.01.2021 को)	**पीएमईजीपी** (व्यक्ति की संख्या) (दिसम्बर, 2020 तक)	**डीडीयू-जीकेवाई** (अभ्यर्थियों की संख्या) (दिसम्बर, 2020 तक)	**डीएवाई-एनयूएलएम** (नियोजित कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या) (वि.व. 2020-21)
1	आंध्र प्रदेश	2235	7296	451	-
2	अरुणाचल प्रदेश	91	136	33	-
3	असम	637	7728	2843	29
4	बिहार	1755	6232	1984	103
5	छत्तीसगढ़	1225	8968	3354	71
6	दिल्ली	-	224	-	-
7	गोवा	1	176	-	248
8	गुजरात	400	12712	611	1034
9	हरियाणा	152	6832	1213	601
10	हिमाचल प्रदेश	299	4112	106	106
11	जम्मू और कश्मीर	251	29384	1815	1
12	झारखंड	955	3776	1614	292
13	कर्नाटक	1216	16336	1288	-
14	केरल	784	7912	1836	165
15	मध्य प्रदेश	2870	11400	955	1587
16	महाराष्ट्र	494	11104	1876	1226
17	मणिपुर	281	4264	254	-
18	मेघालय	282	680	77	1
19	मिजोरम	183	2328	12	158
20	नागालैंड	155	1448	270	-
21	ओडिशा	1720	7944	6409	-
22	पंजाब	296	5816	1381	633
23	राजस्थान	3719	10120	959	74
24	सिक्किम	30	104	18	0
25	तमिलनाडु	2703	21736	1221	63
26	तेलंगाना	1379	6832	1162	0
27	त्रिपुरा	362	2808	94	0
28	उत्तराखंड	237	8000	137	0
29	उत्तर प्रदेश	3419	39776	2666	157
30	पश्चिम बंगाल	3587	7848	2294	585
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	480	-	-
32	चंडीगढ़	-	32	-	7
33	दादर और नगर हवेली	-	-	-	-
34	दमन और दीव	-	-	-	-
35	लक्षद्वीप	-	-	-	-
36	पुडुचेरी	11	152	-	-
37	लद्दाख	19	688	-	-
	संपूर्ण	**31748**	**255384**	**36933**	**7141**

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय; आवास एवं शहरी मंत्रालय।

हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।